भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3263

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024 / 25 अग्रहायण, 1946 (शक)

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना-2021

3263. श्री नरेश गणपत म्हस्के:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्रीमती शांभवी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में बधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना-2021 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कार्यान्वयन के बाद सरकार द्वारा इस संशोधित योजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन किस प्रकार किया गया और इसके क्या प्रमुख निष्कर्ष सामने आए हैं;

(ग) इस योजना के तहत महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों सहित विशेष कितनी श्रेणियों के लाभर्थियों को सरकार द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) योजना की शुरूआत से पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों की संख्या कितनी हैं और उनका ब्यौरा क्या है और उनके पुनर्वास के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है; और

(ड.) देश में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के लिए राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता और सहयोग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ड.): श्रम और रोजगार मंत्रालय बंधुआ मजदूरों की पहचान करने और उन्हें छुड़ाने के लिए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना-2021 कार्यान्वित कर रहा है। यह एक मांग आधारित योजना है जिसमें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान किया गया है:

- पुनर्वास के प्रत्येक मामले के लिए 30,000/- रुपये तक की तत्काल वित्तीय सहायता।

- प्रत्येक छुड़ाए गए बंधुआ मजदूर को उनकी श्रेणी और शोषण के स्तर के आधार पर 1.00 लाख रुपये (वयस्क पुरुषों के लिए), 2.00 लाख रुपये (विशेष श्रेणी के मजदूरों के लिए) और् 3.00 लाख रुपये (बंधुआ या मजबूर श्रम जिसमें अभाव या हाशिए पर होने के चरम मामले शामिल हैं) की पुनर्वास सहायता।

- प्रत्येक संवेदनशील जिले में प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार सर्वेक्षण करने के लिए राज्यों को प्रति जिला 4.50 लाख रुपये, मूल्यांकन अध्ययन के लिए 1.50 लाख रुपये (प्रति वर्ष अधिकतम पांच मूल्यांकन अध्ययन) और जागरूकता सृजन के लिए प्रति राज्य प्रति वर्ष 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता।

मानव विकास संस्थान ने योजना की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया। मूल्यांकन रिपोर्ट में शामिल सुझावों/सिफारिशों के आधार पर, इस योजना को जनवरी, 2022 में नया रूप दिया गया और अब से इसे बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना-2021 के रूप में जाना जाता है।

योजना की शुरुआत के बाद से, कुल 2,96,795 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास किया गया है और उनके पुनर्वास के लिए 105.58 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है।

****